



Letter No. HIMS/Admission/2024/1567(A)

Available in HIMS Website & WhatsApp Group

Date: 21 Nov, 2024

कार्यालय-ज्ञाप(संशोधित)

माननीय उच्च न्यायलय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 6828/2024 पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक 17/08/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ में अपने विज्ञप्ति दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के द्वारा पूर्व में जारी पत्रों को अवक्रमित करते हुए निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विज्ञप्ति की संलग्न सूची के अनुसार कालेजों की पुनः फीस निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः जिन मेडिकल कॉलेजों की निर्धारित फीस में वृद्धि हुई है, उक्त वृद्धि के बाद शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नीट काउंसलिंग से प्रवेशित छात्रों द्वारा बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त अथवा चार सामान मासिक किश्तों में इसी शैक्षणिक सत्र में सम्बन्धित कॉलेजों में जमा किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के शासन के उक्त विज्ञप्ति दिनांक 28/10/2024 के क्रम में हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफेदाबाद, बाराबंकी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों एवं उनके अभिभावकों के WhatsApp Group पर सूचित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि कृपया उक्त शासनोदश के अनुसार पुनः निर्धारित शुल्क के अन्तर की धनराशि इस कॉलेज में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस का विवरण निम्नवत् है:-

• ट्यूशन फीस	रु0	: 14,04,734.00 प्रतिवर्ष
• विविध शुल्क	रु0	: 94,160.00 प्रतिवर्ष
• नॉन ए0सी0 हॉस्टल	रु0	: 1,65,000.00 प्रतिवर्ष
• ए0सी0 हॉस्टल	रु0	: 1,92,500.00 प्रतिवर्ष
• सिक्योरिटी डिपॉजिट	रु0	: 3,00,000.00 एकबार

(वरुणा श्रीवास्तवि)
मुख्य कार्यालयिक अधिकारी